



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232448
CG-DL-E-06012022-232448

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943

No. 49]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2022

का.आ. 50(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मणिपुर राज्य के कांगपोकपी जिले में NH37 के कि.मी. 33 से कि.मी. 49.250 (डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, कांगपोकपी) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 10.08.2021 को "दी संगई एक्सप्रेस" और "ईमी टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मणिपुर राज्य के कांगपोकपि जिले में NH37 के कि.मी. 33 से कि.मी. 49.250 (डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, कांगपोकपी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मणिपुर		जिले का नाम: कांगपोकपि			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कांगचुप गेलजांग				
	गांव का नाम: चरोईपॉतोंगबा (पोंगरींगलोंग)				
1	CHP-1	निजी(आवासीय)	शुष्क भूमि	7.8410034	निंगटौलुंग दाइमी (सीएचपी-1ए)
2	CHP-1	निजी(आवासीय)	शुष्क भूमि	0.4515536	निंगटौलुंग दाइमी (सी एच पी-1बी)
	गांव का नाम: क सनम				
3	KSP-1	निजी(आवासीय)	शुष्क भूमि	3.1157544	पाओलेट किपजेन (के एस पी-1ए)
4	KSP-1	निजी(आवासीय)	शुष्क भूमि	0.1179516	पाओलेट किपजेन (के एस पी-1बी)
	गांव का नाम: खराम पालन				
5	KPP-1	निजी(आवासीय)	शुष्क भूमि	5.614801	रेंगसिनचोंग रंगला (के पी पी-1ए)

6	KPP-1	निजी(आवासीय)	शुष्क भूमि	0.064195	रेंगसिनचोंग रंगला (केपीपी-1बी (रैज़िडैन्चल ऐरीआ))
गांव का नाम: लोंगा कोइरेंग					
7	LKP-2	निजी(बंजर)	शुष्क भूमि	2.433639	स.सोखेल कोइरेंग (एल के पी-2ए)
गांव का नाम: सेहजांग					
8	SJP-1	निजी(आवासीय)	शुष्क भूमि	4.7486553	हेन्तिनेश किपगेन (SJP-1A)
9	SJP-1	निजी(आवासीय)	शुष्क भूमि	0.049044	हेन्तिनेश किपगेन (एसजेपी-1बी (रैज़िडैन्चल ऐरीआ))
गांव का नाम: थिन्खोंगजांग					
10	THP-1	निजी(बंजर)	शुष्क भूमि	1.460857	काल कांगपोकपी (टीहेच्पी-1)
			कुल	25.8975	

[फा. सं. NHIDCL/PMU-SPT/NH-37/LA/2021/3A/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2022

S.O. 50(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH37 on the stretch of land from Km 33 to Km **49.250** (DC Office Complex, Kangpokpi) in the district of Kangpokpi in the state of MANIPUR

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Sangai Express” and “Eimi Times” both dated 10.08.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH37 in the stretch of land from Km. 33 to Km. 49.250 (DC Office Complex, Kangpokpi) in the district of Kangpokpi in the state of MANIPUR.

State: MANIPUR District: Kangpokpi					
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kangchup Geljang					
Village: Charoipantongba (Pongringlong)					
1	CHP-1	Private(Residential)	Dry Land	7.8410034	NINGTOULUNG DAIMEI CHP-1A
2	CHP-1	Private(Residential)	Dry Land	0.4515536	NINGTOULUNG DAIMEI CHP-1B (Residential Area)
Village: K. Senam					
3	KSP-1	Private(Residential)	Dry Land	3.1157544	PAOLET KIPGEN KSP-1A
4	KSP-1	Private(Residential)	Dry Land	0.1179516	PAOLET KIPGEN KSP-1B (Residential Area)
Village: Kharam Palen					
5	KPP-1	Private(Residential)	Dry Land	5.614801	RENGSINCHONG RANGLA KPP-1A
6	KPP-1	Private(Residential)	Dry Land	0.064195	RENGSINCHONG RANGLA KPP-1B (Residential Area)
Village: Longa Koireng					
7	LKP-2	Private(Barren)	Dry Land	2.433639	S.SOKHEL KOIRENG LKP-2A

	Village: Sehjang				
8	SJP-1	Private(Residential)	Dry Land	4.7486553	HENTINESH KIPGEN SJP-1A
9	SJP-1	Private(Residential)	Dry Land	0.049044	HENTINESH KIPGEN SJP-1B (Residential Area)
	Village: Thingkhongjang				
10	THP-1	Private(Barren)	Dry Land	1.460857	CALA Kangpokpi THP-1
			TOTAL	25.8974543	

[F. No. NHIDCL/PMU-SPT/NH-37/LA/2021/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Director